राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गॉधी नरेगा)

क्रमांकः एफ 1 (1) ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/GOI- Part-I/2013 जयपुर, दिनांक : 27 FEB 2013

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :— महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण बाबत।

महोदय,.

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दि. 21.11.2012 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुसूची के पैरा 1 में उल्लेखित कार्यों में वृद्धि करते हुए "आंगनबाड़ी केन्द्रों का संनिर्माण" अनुमत किया है। भारत सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए न्यूनतम कॅवर्ड एरिया 600 वर्ग फीट एवं केन्द्रों की लागत ₹ 4.50 लाख अनुमोदित की हुई है। तदनुसार महिला बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इन केन्द्रों की ड्राईंग तैयार की गई है, जिसमें कॅवर्ड एरिया 780 वर्ग फीट रखा गया है।

आंगनबाड़ी केन्द्र एक पक्का भवन निर्माण कार्य है, जिसमें श्रम (अकुशल) व सामग्री का अनुपात सामान्यतः 10:90 होता है। अतः एक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए श्रम (अकुशल) भाग की लागत ₹ 45,000 व उसी के अनुसार सामग्री भाग की लागत ₹ 4.05 लाख होती है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों में श्रम सामग्री अनुपात 60:40 रखने की बाध्यता है। अतः ₹ 45,000 श्रम सामग्री के समानुपाती सामग्री मद की लागत ₹ 30,000 होगी। इस प्रकार प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र लगभग ₹ 75,000 ही महात्मा गांधी नरेगा योजना में बुक किये जा सकते है तथा शेष ₹ 3.75 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, जो ICDS या अन्य स्रोतों के साथ डोवटेल (Dovetail) करके पूरी की जानी है।

भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि में केन्द्र व राज्य के हिस्से का अनुपात 75:25 रखा हुआ है। अतः ₹ 3.75 लाख की अतिरिक्त राशि में से केन्द्र का हिस्सा ₹ 2,81,250 व राज्य का हिस्सा ₹ 93,750 होगा।

अतः निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उक्त दिशा–निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार कार्य योजनानुसार सम्पादित किये जाने की कार्यवाही की जावे।

भवदीय

(खजान सिंह)
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. **निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, गांधी नगर, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आंगन बाड़ी भवन निर्माण हेतु सामग्री मद की शेष राशि जिलों को उपलब्ध कराने का श्रम करे। महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स के माध्यम से अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करने हेतु आपके विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला कार्यक्रम समन्वयक से समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देशित करने का श्रम करें।**
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद जयपुर/जोधपुर।
5. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जि.प. समस्त राजस्थान।
6. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी,पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस